उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

413962

<u>विक्रय विलेख</u>

प्रतिफल की धनराशि	-	रु0 26,55,744/-
बाजारू मूल्य	-	रु0 8,06,000/-
अदा किये गये स्टाम्प शुल्क	-	रु0 2,65,600/-

1. भूमि का प्रकार - भूमि
2. परगना - लखनऊ
3. ग्राम - [illegible]
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 690 स्थित

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4J3963

-2-

0.116 हे0 का पूर्ण भाग व खसरा संख्या 767 रकबा 0.396 हे0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.512 हे0 स्थित ग्राम-अहमामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

413964

5. मापन की ईकाई - हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.512 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति - सुल्तानपुर रोड व आन्तरिक पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि

9. पेड़ों की स्थिति - नहीं

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 413965

10. बोरिंग/ कुआं अन्य — कुछ भी नहीं है।

<u>मौजूदा खसरा नं0 699</u>

उत्तर	खसरा संख्या-698
दक्षिण	खसरा संख्या-700
पूरब	चकरोड
पश्चिम	खसरा संख्या-692

विक्रेता

क्रेता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

413966

<u>चौहद्दी खसरा नं0 762</u>

उत्तर : खसरा संख्या-762

दक्षिण : खसरा संख्या-768

पूरब : खसरा संख्या-766, 650

पश्चिम : खसरा संख्या 770

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-6-

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
परशू पुत्र रामदीन निवासी -अलामनगर, परगना तहसील व जिला लखनऊ।	[illegible] पुत्र [illegible] कोरी निवासी ग्राम मिर्जापुर बिराही पो0 नौगांव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

413963

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7 -

यह विक्रय विलेख [illegible] पुत्र रामदीन निवासी [illegible], [illegible] तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवं [illegible] पुत्र जगराम कोरी निवासी ग्राम मिर्जापुर [illegible] पो० [illegible], तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

413969

यह कि विक्रेता भूमि भूमि खसरा संख्या 589 रकबा 0.116 है0 का पूर्ण भाग व खसरा संख्या 767 रकबा 0.396 है0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल विक्रेता रकबा 0.512 है0 स्थित ग्राम- [illegible] परगना [illegible] व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त [illegible] खतौनी [illegible] 00139 के अनुसार भूमि [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 883344

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता को रुपयों की सख्त आवश्यकता है इसलिये वह अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 883635

वह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने इसे इस बिक्री के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

873561

वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 590734

के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 26,55,744/- के प्रतिफल में मिलकर उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता गण स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हक उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 990735

अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को स्पष्ट बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को वसूली करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 890736

लिया है। उक्त क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 877358

कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की जात, अचल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 4 886709

सम्पत्ति से उनसे अथवा वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 866710

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहित नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को वांछित [illegible] राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 886711

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO
- 3 AUG 2004

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम [illegible] अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट भाग के अन्तर्गत आता है इसलिए, निर्धारित सर्किल रेट रु0 17,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.512 हेक्टेअर की कुल मालियत 8,96,000/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही स्टा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 886707

2,65,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल रही है न कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 556708

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 374010

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 26,55,744/- द्वारा चैक संख्या- 570987 दिनांकित 10.08.2007 पंजाब नेशनल बैंक, [illegible] लखनऊ से क्रेता से प्राप्त हुए।

विक्रय पत्र

[illegible]	5,00,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत				

श्री / श्रीमती पप्पु
पुत्र / पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी स्थायी [illegible]
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/08/2007 समय [illegible] PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

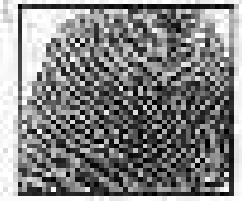

एस.के.याद
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
10/08/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती पप्पु
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

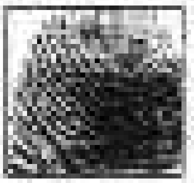

क्रेता
श्री/श्रीमती [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

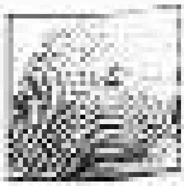

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार
पुत्र श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी आलमनगर, लखनऊ
व श्री [illegible]
पुत्र श्री पप्पु
पेशा कृषि
निवासी [illegible], लखनऊ
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

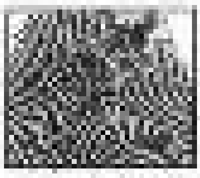

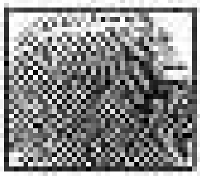

एस.एस.याद
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
10/08/2007

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 441285

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 26,55,744/- (रुपया छब्बीस लाख पचपन हजार सात सौ चौवालीस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते है तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

लखनऊ:

दिनांक : 10.08.2007

गवाह :- क्रेता की पहचान की

1.

विक्रेता

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

टाईपकर्ता

(... कुमार)

सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(... सिंह)

एडवोकेट

Registration No 7528 Year: 2007 Book No. I

0101

[illegible]

[illegible] ৬৯৭ / ০.১১৬, ৭৬১ / ০.৩৯৬

[illegible]

[illegible]

[illegible] :

Registration No. 1928 | Year : 2007 | Book No. 1

0001 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

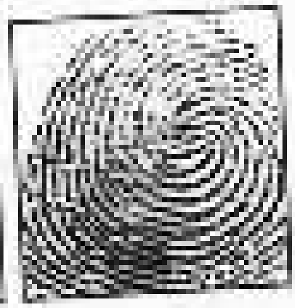

...न अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

...का नाम व पता ....

....

...गुलियों के चिन्ह :-

...थ के अंगुलियों के चिन्ह :-

निष्पादक/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता/क्रेता का नाम व पता ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक **10/08/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **6828**

पृष्ठ सं **249** से **298** पर क्रमांक **7528**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.एस.यादव
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
10/8/2007